एक नजर में

स्टेशन -जेबकतरे ने उड़ाया मोबाइल

नागपुर, नगर प्रतिनिधि. इन दिनों नागपुर स्टेशन पर चोरों और जेबकतरों की मौज है. हर दिन किसी ना किसी यात्री को शिकार बना रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में भीड़ का फायदा उठाकर एक यात्री की जेब से 27,000 रुपये कीमत का मोबाइल चोरी कर लिया गया. जानकारी के अनुसार, अकोला निवासी सैयद शाहीदोद्दीन सैयद (27) ने लोहमार्ग पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह ट्रेन 12810 मुंबई में सवार होकर अकोला जाने के लिए नागपुर स्टेशन के प्लेटफार्म 3 पर पहुंचे. ट्रेन आने पर जनरल कोच में सवार होने के दौरान किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उनकी पेंट की जेब से मोबाइल चोरी कर लिया. मोबाइल की कीमत 27,000 रुपये बताई गई. जीआरपी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

कई दिनों के इंतजार के नगर में तेज बारिश

मुलताई। क्षेत्र में कुछ ग्रामो में एक सप्ताह पहले से बारिश होने की खबर मिल रही थी,लेकिन नगर में बारिश नही होने से लोगो को बारिश का इंतजार था। लगातार दो दिनों से बादलो एवं सूर्यदेव के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा था, जो की मंगलवार को भी चल रहा था,लेकिन करीब सवा 2 बजे आसमान पर काले काले बादल छाए और करीब 15 मिनिट तक चली तेज हवाओ के साथ बारिश होने लगी जो करीब आधा घंटा तक होते रही। जिससे सड़को पर पानी बहने लगा, वहीं बारिश से ठंडक होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खेती किसानी करने वाले लोगो का मानना है की इस तरह की बारिश दो तीन बार लगातार होंगी तभी बोवनी लगा सकते है।

राजनीतिक दल बनाना पड़े तो, शर्मनाक बात होगी...

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा, तय हो एकाउंटिबिलिटी

नागपुर, निज संवाददाता. नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संविधान चौक में आंदोलन करने आए काक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर गलत का विरोध करने व न्याय मांगने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना पड़े तो यह शर्मनाक बात होगी. फिर हमने जिन्हें चुनकर दिया वे जनप्रतिनिधि क्या करें. क्या उनकी कोई एकाउंटिबिलिटी नहीं है. वे नागपुर में प्रेस परिषद में सवालों का जवाब दे रहे थे. उनसे पूछा गया कि अगर प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया व मांग पूरी नहीं हुई तो क्या अलग राजनीतिक दल बनाएंगे. दिपके ने कहा कि अगर लोगों के घरों में पानी नहीं आए या बिजली नहीं मिले तो क्या वह राजनीतिक दल बना लेगा. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद जिन परिवार के बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसके लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली. अगर किसी मंत्री के बच्चे ने आत्महत्या की होती तो वे क्या यही करते. उन्होंने मांग की कि सबसे लंबे अरसे तक देश का प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड बनाने वाले नरेन्द्र मोदी को शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए लेकिन उन्होंने खुद अब तक पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना तक जाहिर नहीं की.

विद्यार्थियों की जिंदगी की कोई वेल्यू नहीं

दिपके ने कहा कि देश में बीते 40 वर्षों से विद्यार्थियों की दूरावस्था है. रोजगार नहीं है. इसके लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस सहित सभी सरकारें जिम्मेदार हैं. लेकिन आज भाजपा की सरकार है तो उंगलियां उस पर ही उठेंगी. उन्होंने कहा हम शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान चाहते हैं.

जिसने विरोध किया वह देशद्रोही

किरण रिजिजू कहते हैं, हम एंटी-नेशन हैं. दिपके ने सवाल किया कि 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई मामले को उजागर किया तो क्या वह भी देशद्रोही हो गया. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसों को विद्रोही करार दिया गया. आज देश में वैसे हालात हैं.

भाजपा ने तोड़ी पार्टियां

दिपके कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अन्य राजनीतिक दलों को तोड़ा. पश्चिम बंगाल में पार्टी तोड़ी. चुनाव पूर्व जिन राज्यों में एसआईआर के नाम पर वोट डिलिट हुए वहां केवल भाजपा को ही फायदा हो रहा है. लोकतंत्र में चुनाव के पूर्व ही परिणाम तय हो रहा हो तो यह कैसे चलेगा.

20 को जंतर-मंतर में आंदोलन

13 जून तक शिक्षा मंत्री प्रधान को इस्तीफा के लिए समय दिया गया था. अब 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर में आंदोलन किया जाएगा. जब तक इस्तीफा नहीं होता तब यह जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली को 'जाम' करने का कोई इरादा नहीं है. आंदोलन शांतिप्रिय होगा. उन्होंने सभी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों सहित नागरिकों से अपील की है कि जो भी विद्यार्थियों के पक्ष में हैं सभी आंदोलन में शामिल हों. प्रेस परिषद के दौरान संपूर्ण प्रेस क्लब परिसर में पुलिस की तगड़ी घेराबंदी की गई थी.

लंदन स्ट्रीट प्रोजेक्ट : तय हो 1 कि.मी का दायरा,वृक्षारोपण पर हाई कोर्ट ने मनपा के वृक्ष अधिकारी से मांगा हलफनामा

नागपुर. वर्धा रोड से लेकर 5.5 किलोमीटर लंबा तैयार हो रहा आरेंज सिटी स्ट्रीट (लंदन स्ट्रीट) प्रकल्प मामले में फिलहाल पेड़ों की कटाई को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और उसके एवज में किए जाने वाले %पौधारोपण% पर न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि काटे गए पेड़ों के बदले लगाए जाने वाले पौधे उसी इलाके के आस-पास लगाए जाने चाहिए, ताकि स्थानीय पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता प्रभावित न हो. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शहर के पेड़ काटकर दूर किसी इलाके में 5 या 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाने का तर्क उचित नहीं है, क्योंकि स्थानीय वायु गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है. सुनवाई में यह सुझाव भी सामने आया कि एक न्यायिक आदेश के जरिए नए पौधे लगाने की सीमा को उसी स्थान के 1 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दिया जाए, जहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं.

दूर पेड़ लगाने के तर्क पर कोर्ट की कड़ी आपत्ति

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि जो 10,000 पेड़ लगाने का दावा किया जा रहा है, वे उस इलाके से काफी दूर लगाए गए हैं जहाँ से पेड़ काटे जाने हैं. अदालत ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा कि यदि नए पेड़ बहुत दूर लगाए जाते हैं, तो उसे वास्तविक अर्थों में पौधारोपण नहीं माना जा सकता,

फिर उफान पर कांग्रेस का अंदरूनी विवाद

सांसद धानोरकर गुट के नगरसेवकों ने विभागीय आयुक्त से की गटनेता बदलने की मांग

नागपुर, निज संवाददाता. चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद फिर उफान पर है. लंबे अरसे से वहां सांसद प्रतिभा धानोरकर व विस में गटनेता विजय वडेट्टीवार गुट के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है. मंगलवार को धानोरकर समर्थक 16 नगरसेवकों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में धावा बोला और गटनेता बदलने की मांग का आवेदन विभागीय आयुक्त को सौंपा. नगरसेवकों ने विद्यमान गटनेता राजेश अडूर के विरोध में प्रस्ताव मंजूर करने का दावा करते हुए विभागीय आयुक्त से 16 नगरसेवकों का स्वतंत्र गट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने व सुरेन्द्र आडबाले को नया गटनेता नियुक्ति करने की मांग की.

11 नगरसेवक वडेट्टीवार समर्थक

दूसरी ओर विद्यमान गटनेता राजेश अडूर ने धानोकर समर्थक नगरसेवकों पर पार्टी व्हीप का उल्लंघन करने का आरोप लगता हुए सभी 16 नगरसेवकों पर कार्रवाई की मांग विभागीय आयुक्त से की है. चंद्रपुर मनपा में कांग्रेस के कुल 27 नगरसेवकों में से 16 धानोरकर गट में है और 11 नगरसेवक विजय वडेट्टीवार समर्थक माने जाते हैं. दोनों गटों में वाद लंबे अरसे से चल रहा है. वडेट्टीवार गुट ने आरोप लगाया है कि विभागीय आयुक्त पर दबाव बनाया जा रहा है जबकि धानोरकर गुट ने इस आरोप को खारिज कर दिया है.

यह नगरसेवकों का निर्णय

इधर, सांसद प्रतिभा धानोकर ने इस विवाद पर कहा है कि यह संघर्ष व्यक्तिगत नहीं है. यह मेरा या वडेट्टीवार का वाद नहीं. नगरसेवकों ने यह निर्णय लिया है. बताते चलें कि कांग्रेस की इसी गुटबाजी के चलते चंद्रपुर में कांग्रेस का महापौर नहीं बन पाया और भाजपा को फायदा हो गया.

हाई कोर्ट ने पलटा जिलाधिकारी का आदेश,विधान परिषद चुनाव -केवल 18 जून को ही बंद रहेंगी दुकानें

नागपुर. विधान परिषद में स्थानिय निकाय से चुने जानेवाले विधायक को लेकर 18 जून को होने वाले चुनाव के मद्देनजर शराब बंदी को लेकर हाई कोर्ट की ओर से अहम फैसला जारी किया गया. न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने जिलाधिकारी द्वारा चुनाव के दौरान लंबे समय तक शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश को निरस्त कर दिया है. नए अदालती आदेश के अनुसार अब नागपुर जिले में भी शराब की दुकानें केवल मतदान के दिन यानी 18 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक ही बंद रहेंगी. उल्लेखनीय है कि अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेशों को चुनौती देते हुए संबंधित जिलों के दूकानदार संगठनों और निजी लाईसेंस धारकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई.

क्या था जिलाधिकारी का आदेश?

उल्लेखनीय है कि 11 जून को जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद के अलावा अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने चुनाव को देखते हुए एक कड़ा आदेश जारी किया था. इस आदेश में निर्देश दिए गए थे कि मतदान से 48 घंटे पहले यानी 16 जून की दोपहर 4 बजे से लेकर 18 जून को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक समूचे जिले की शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही, 22 जून को मतगणना के दिन भी मतगणना समाप्त होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

महज 900 के आसपास मतदाता

याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तर्क पेश किया गया. बहस के दौरान न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस विधान परिषद चुनाव में महज 900 के आसपास ही मतदाता हैं और वे भी पूरे जिले भर में छिटपुट रूप से मौजूद हैं. न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई कि इतने कम मतदाताओं वाले चुनाव के लिए पूरे जिले की शराब दुकानों को इतने दिनों तक बंद रखना पूरी तरह से अनुचित है. दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी के 11 जून के आदेश को पलट दिया.

महासम्मेलन 18 जून को, होगा भव्य आयोजन

बैतूल। 18 जून को बैतूल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे भव्य आध्यात्मिक महासम्मेलन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। ब्रह्माकुमारीज़ संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषयक इस विशेष कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पत्रकार वार्ता में ब्रह्माकुमारीज़ के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉ. नथमल भाई ने बताया कि कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा और व्यवस्थाओं की दृष्टि से पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। समारोह में आदिवासी समाज द्वारा स्वागत गीत एवं पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी, वहीं राष्ट्रपति अपने आध्यात्मिक अनुभव भी साझा करेंगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को पूर्व पंजीकरण के आधार पर निशुल्क प्रवेश पास जारी किए गए हैं। आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापित पास ही मान्य होंगे। आयोजन स्थल पर वीआईपी अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, ब्रह्माकुमारी परिवार तथा आदिवासी समाज के लिए अलग-अलग बैठक व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को गेट क्रमांक 3 और 4 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि वीआईपी अतिथि गेट क्रमांक 2 तथा राष्ट्रपति गेट क्रमांक 1 से प्रवेश करेंगी। माउंट आबू से आईं डॉ. लीना बहन ने बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन का श्रेय बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी मंजू दीदी के संकल्प और प्रयासों को जाता है।

पीएम स्वनिधि योजना में महिला उद्यमी परेशान

सारनी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृत 50 हजार रुपये का ऋण नहीं मिलने पर सारनी निवासी श्रीमती पूजा श्यामाकांत शर्मा ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है।

परिजनों से बिछड़े मासूम बालक को पुलिस ने चंद घंटों में ही परिजनों को सुरक्षित सौंपा

नवभारत न्यूज,पांढुरना, 16 जून,

नगर के समता कॉलेज के पास रोता बिलखता मिले एक चार वर्षीय बालक को चंद घंटों में पुलिस ने इसके परिजनों की तलाश कर उसके मामा के पास सुरक्षित सौपा दिया,परिजनों सहित सभी तरफ पुलिस के इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना कि जा रहीं है।

मंगलवार को नगर के मध्य से होकर गुजरने वाले प्रमुख नागपुर भोपाल मार्ग से लगे समता कॉलेज के पास एक लगभग चार वर्षीय बालक अपने परिजनों से बिछड़ने के कारण रो रहा था,राहगीरों द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को देंने पर आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचे बालक अपना नाम नवनीत पिता राजेश बता रहा था लेकिन गांव या पांढुरना नगर में किस वार्ड में रहता है यह नहीं बता पा रहा था,घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने इस बालक को पुलिस थाने में लाकर उसे सुरक्षित रख नाश्ता कराते हुए पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया के माध्यम के साथ ही अपने मुखबिरों को इस बालक की फोटो शेयर कर इसके परिजनों की तलाश कराने में जूट गई । पुलिस की इस सक्रियता के चलते ही चंद घंटों में पुलिस ने इस बालक के मामा दीपक पिता तुकाराम बनाईत की तलाश कर उसे बालक से मिलने पर बालक ने अपने मामा को पहचानते ही उसके गले लग गया । पुलिस ने बालक को इसके मामा को सौंपते हुए भविष्य में इसका विशेष ध्यान रखने की बात कहीं साथ ही पुलिस ने सभी लोगों अपने-अपने नन्हे -मुन्ने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वहीं पुलिस की इस सक्रियता की बालक के परिजनों के साथ ही लोगों द्वारा भी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रहीं है।

पेड़ जहां कटें, पौधे भी वहीं लगें, क्षतिपूरक वनीकरण के नाम पर दिखावा, अदालत ने उठाए गंभीर सवाल

नागपुर. कोराडी ताप बिजली घर और खापरखेडा ताप बिजली घर से उठनेवाली राख के कारण होते प्रदूषण को लेकर राजेश उर्फ धम्मेश चौहान की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. इसी तरह से शहर में चल रहे निरंतर निर्माण कार्यों के कारण हवा में उड़ती धूल, सीमेंट और सूक्ष्म कणों ने नागपुर की वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुँचा दिया है. इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, महानगर पालिका, प्रन्यास और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया था. शहर में हो रहे विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और उसके बदले किए जाने वाले %क्षतिपूरक वनीकरण% की व्यवस्था पर अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. न्यायालय ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि विकासकर्ता शहर के मुख्य इलाकों में पेड़ काटते हैं और खानापूर्ति के लिए शहर से दूर किसी अन्य इलाके में पौधे लगा देते हैं.

शहर में कटाई, दूर-दराज के इलाकों में भरपाई से नाराजगी

अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि सिविल लाइन्स या लंदन स्ट्रीट जैसे क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके बदले नागपुर के बाहर (पारडी के बाद) या अमरावती में पौधे लगाए जा रहे हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि 1,000 पेड़ काटकर उसके बदले दूर किसी इलाके में 10,000 या 50,000 पौधे लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. क्षतिपूरकका असली अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र के लोगों को पेड़ों के कटने से नुकसान हुआ है, उसी क्षेत्र में पौधे लगाए जाएं

कार्यालय, अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (Master of Architecture) पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (PGETA) के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश
(शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थान)

प्रथम चरण प्रवेश परीक्षा के वैध स्कोर (Valid Score Entrance Exam) के आधार पर	
गतिविधियां	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	17.06.2026 से 28.06.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	29.06.2026 से 30.06.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	18.06.2026 से 02.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	03.07.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	08.07.2026 से 13.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	12.07.2026 से 17.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	18.07.2026 से 19.07.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	13.07.2026 से 21.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	22.07.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	27.07.2026 से 31.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**प्रवेश के अवसर का दिनांक/समय**
02.08.2026 से 05.08.2026	06.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
07.08.2026 से 10.08.2026	11.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
12.08.2026 से 14.08.2026 अंतिम तिथि को रजिस्ट्रेशन दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा	14.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक

- मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (Master of Architecture) पाठ्यक्रम में पीजीईटीए (PGETA) प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में **इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये** निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

प्रवेश निरस्त

- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक तथा संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- **संपर्क:-0755-6720205, 2660441 ई-मेल:- dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
म.प्र. माध्यम/126406/2026

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

एम.फार्मेसी (M.Pharmcy) पाठ्यक्रम में वैध जीपेट स्कोर (Valid GPAT Score)/ अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु
(शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थान)

प्रथम चरण वैध जीपेट स्कोर (Valid GPAT Score) के आधार पर)	
गतिविधियां	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	17.06.2026 से 05.07.02026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	06.07.2026 से 07.07.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	18.06.2026 से 09.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	**10.07.2026**
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	14.07.2026 से 20.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
अर्हकारी परीक्षा के आधार पर पंजीयन दिनांक 17 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेंगे, शेष प्रक्रिया द्वितीय चरण अनुसार रहेगी	
द्वितीय चरण **(प्रथमत: वैध जीपेट स्कोर (Valid GPAT Score) तत्पश्चात अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन)**	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	21.07.2026 से 31.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	01.08.2026 से 02.08.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	22.07.2026 से 04.08.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	**05.08.2026**
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	10.08.2026 से 17.08.2026 सायं 6:30 बजे तक
संस्था स्तर की कांउसलिंग (CLC) **(प्रथमत: वैध जीपेट स्कोर (Valid GPAT Score) तत्पश्चात अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन)**	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**प्रवेश के अवसर का दिनांक/समय**
19.08.2026 से 23.08.2026	24.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
25.08.2026 से 29.08.2026	30.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
10.09.2026 से 15.09.2026 अंतिम तिथि को रजिस्ट्रेशन दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा	15.09.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में **इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये** निर्धारित तिथि पर संस्था में **प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक** उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तद्उपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

प्रवेश निरस्त :

- ❑ काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक तथा संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- **संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
म.प्र. माध्यम/126408/2026